37

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1163–तीन/2005 – विरूद्ध आदेश दिनांक 11–7–2005 – पारित व्दारा – आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 44/2004–05 निगरानी

1– अरूण कुमार 2– अरबिन्द कुमार
पुत्रगण वापनन्द ग्राम हटवा चक नं.–1
तहसील हनुमना जिला रीवा मध्य प्रदेश ––आवेदकगण

विरूद्ध

रामलाल पुत्र राजनाथ शर्मा
ग्राम हटवा चक नं.–1 तहसील
हनुमना जिला रीवा मध्य प्रदेश ––––अनावेदक

(आवेदकगण के श्री के.के.द्विवेदी अभिभाषक)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक-11 – 01 –2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 44/2004–05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–7–05 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने नायव तहसीलदार वृत्त खटकरी तहसील हनुमना के यहां आवेदन प्रस्तुत कर भूमि सर्वे कमांक 602/4, 603/2 , 607/3, 615/3 के नक्शा तरमीम का आवेदन दिया, जिस पर प्रकरण कमांक 8 अ 74/ 1991-92 पंजीबद्ध हुआ तथा आदेश दिनांक 3-2-1992 पारित करके नक्शा तरमीम के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की । अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 28 अ-74/91-92 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 3-9-2001 से निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार वृत्त खटकरी का आदेश दिनांक 3-2-1992 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण उभय पक्ष की साक्ष्य एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 44/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-7-05 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा दिये गये तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब अनावेदक भूमि खसरा कमांक 607 का भूमिस्वामी है तथा सर्वे नंबर 607 के बटा नंबरों के नक्शा तरमीम के समय उसे पक्षकार नहीं बनाया गया एंव नायव तहसीलदार ने भी उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश दिनांक 3-2-92 पारित किया गया है जिसके कारण अपर कलेक्टर रीवा ने अनावेक व्दारा दिये गये अवधि

विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुये विलम्ब क्षमा किया है यदि आवेदकगण अपर कलेक्टर के विलम्ब क्षमा करने वावत् दिये गये आदेश से दुखी थे तब उन्हें उस अंतरिम आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में निगरानी करना थी, किन्तु इस निगरानी में आवेदक के अभिभाषक व्दारा विलम्ब के सम्बन्ध में दिया गया तर्क इन्हीं कारणों से माने जाने योग्य नहीं है।

5/ अपर कलेक्टर रीवा ने आदेश दिनॉक 3-9-2001 से निगरानी स्वीकार कर नायव तहसीलदार वृत्त खटकरी का आदेश दिनांक 3-2-1992 निरस्त करके प्रकरण उभय पक्ष की साक्ष्य एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है । इस आदेश के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को तहसील न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करने एंव लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 44/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-7-05 में अपर कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है। अपर कलेक्टर एंव आयुक्त रीवा संभाग व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त रीवा संभाग रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 44/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-7-05 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर